

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
अधिसूचना

संख्या:- 06/अ0प्र0-05-21/2024

1090


/पटना, दिनांक:- 29/1/25

वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 7566 दिनांक 14.07.2010 द्वारा अधिसूचित बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2010, वित्त विभागीय पत्रांक 8928 दिनांक 15.11.2017 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों/परिपत्रों में उल्लेखित प्रावधानों के तहत दिनांक 17.01.2025 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के अनुरूप ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत बिहार अभियंत्रण सेवा संवर्ग के निम्नांकित अभियंता को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से/वेतनमान में तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	जन्म तिथि	अभियंता संवर्ग में प्रथम योगदान की तिथि	प्रथम रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन/द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन/तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का वेतनमान/वेतन स्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री रामशीष प्रसाद, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता (कार्यकारी प्रभार)	24.06.1963	29.12.1987 कनीय अभियंता	दिनांक 29.12.2017 के प्रभाव से वेतन स्तर-12 में तृतीय एम0ए0सी0पी0 स्वीकृत।	

- वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप उपर्युक्त अभियंता का वेतन नियतिकरण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के परिशिष्ट-1 के नियम-4 के अनुसार किया जाएगा। मौलिक नियमावली के नियम 22(1) ए (प) में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर लिखित रूप से देना अनिवार्य होगा।
- श्री रामशीष प्रसाद, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता (कार्यकारी प्रभार), स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, सहरसा के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित अभियंता को प्रदत्त वित्तीय उन्नयन संबंधी लाभ को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।
- यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।
- नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान से पूर्व संबंधित अभियंता के सेवा में टूट इत्यादि, जिससे वित्तीय उन्नयन प्रभावित होता हो, की जाँच कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान करेंगे।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


29/1/2025
(इफतेखार अहमद)

सरकार के उप सचिव
पटना, दिनांक 29/1/25

ज्ञापांक:- 06/अ0प्र0-05-21/2024 1091

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


29/1/2025
सरकार के उप सचिव

Handwritten signature


ज्ञापांक:- 06/अ0प्र0-05-21/2024

1091

पटना, दिनांक

29.1.25

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


29/1/2025

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:- 06/अ0प्र0-05-21/2024

1091

पटना, दिनांक

29.1.25

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


29/1/2025

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:- 06/अ0प्र0-05-21/2024

1091

पटना, दिनांक

29.1.25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव /प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/विशेष सचिव के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव /संयुक्त सचिव के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं श्री रामाशीष प्रसाद, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता (कार्यकारी प्रभार), स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, सहरसा, पत्राचार का पता:- हाउस संख्या-19, मेन रोड, मधुबनी, लक्ष्मी सागर, भोवाड़ा, डा0 सी0के0 सिंह के नजदीक, कोतावली चौक, पुलिस लाईन, भोवाड़ा, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


29/1/2025

सरकार के उप सचिव


ज्ञापांक:- 06/अ0प्र0-05-21/2024

1091

पटना, दिनांक

29.1.25

प्रतिलिपि:- विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


29/1/2025

सरकार के उप सचिव

